# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 165/ कले. / रीडर / 2024 रीवा दिनांक 04 / 07 / 2024

प्रति,

रजिस्ट्रार

एन.जी.टी., सी.जेड.बी.,

भोपाल

विषयः— माननीय एन.जी.टी सेन्टल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181 / 2023 (सी.जेड.) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ — आपका ईमेल दिनांक 25 जनवरी 2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड) भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 181 / 2023 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग जवा जिला रीवा से प्रतिवेदन चाहा गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग जवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसीलदार जवा के प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2024 के अनुसार तहसील जवा के ग्राम बड़ाछ के अंतर्गत आराजी नं. 1323 रकवा 1. 388 हेक्टेयर, 1324 रकवा 4.501 हेक्टेयर एवं आराजी न. 1325 / 1, रकवा 6.123 हेक्टेयर के अंश भाग पर ग्राम के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। ग्राम बड़ाछ का आराजी न. 1324 अतिक्रमण मुक्त है। आराजी न. 1323 के अंश भाग में 20 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा आराजी न. 1325 / 1 के अंश भाग में 06 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

तहसीलदार जवा द्वारा अपने न्यायालय में ग्राम बड़ाछ के आराजी नं. 1323 तथा आराजी नं. 1325 / 1 के अंश भाग में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथक–प्रथक राजस्व प्रकरण दर्ज कर म0प्र0 भू.रा.सं 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 248 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये अतिक्रामकों के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया।

वर्तमान स्थिति तक आराजी न. 1323 में 04 अतिक्रमकों के तथा आराजी न. 1325 / 1 में 04 अतिक्रमकों के अवैध कब्जे मौके से हटा दिये गये हैं। शेष अतिक्रामकों को वैकल्पिक आवास व्यवस्था न होने से उन्हें बेदखल करने / कब्जा हटाने के पूर्व पुनः व्यवस्थापन हेतु ग्राम बडाछ की आराजी न. 903 का चयन कर नियमानुसार व्यवस्थापित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जवा से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र के संलग्न प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 906/2023/सात/शा–2 भोपाल दिनांक 23.06.2023 (प्रति संलग्न) के अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरूप के अतिक्रामकों को न हटाये जाने के निर्देश हैं।

अतः शेष अतिक्रामकों का अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में माननीय से समय प्रदान करने हेतु प्रतिवेदन सादर संप्रेषित है।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
जिला रीवा (म0प्र0)

T/S

शाखा ....................................................

क्रमांक ...............(5).....................................

विषय ..................... NGT प्रकरण क्रमांक 181/2023

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[हरिमोहन मिश्रा V/s M.P. Govt.]

प्रकरण में SDM जवा, जिला रीवा के पत्र क्रमांक 189/रीडर/2024, जवा, दिनांक 03/7/2024, इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 04/7/2024, मान० कलेक्टर महोदय रीवा की ओर प्रेषित हुए, शासन की ओर से प्रतिउत्तर, (पालन रिपोर्ट) मान० एन०जी०टी० को प्रेषित किये जाने हेतु अवलोकनार्थ एवं मान्य अनुसार शासन की ओर से, म.प्र. शासन अधिवक्ता के माध्यम से मान. एन.जी.टी. (CZ) भोपाल को प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध सहित प्रस्तुत। पेशी दिनांक 05/7/2024 है।

मान. कलेक्टर महोदय,

[signature]
04/7/2024

Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)

**क्षेत्रीय कार्यालय**
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**एच.आई.जी.190–191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)**
**Tel / Fax : (07662) 297605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in**

रीवा, दिनांक 5/7/24

क्रमांक / 937 /क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2024

**प्रति,**

कलेक्टर महोदया
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– **मान्नीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल, प्रकरण ओ.ए. नं. 181 / 2023 (सी.जेड.) हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में शासन की ओर से उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध मे।**

**संदर्भः**– अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा (रा.) जिला रीवा का पत्र क्र. 189 / रीडर / 2024 दिनांक 03.07.2024 इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 04.07.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत मान्नीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल, प्रकरण ओ.ए. नं. 181 / 2023 (सी.जेड.) हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में शासन की ओर से उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध मे अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा के द्वारा आज दिनांक 04.07.2024 को प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की प्रति आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है। अनुरोध है कि मान्नीय एनजीटी के पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 की प्रति संलग्न है, अवलोकन करने का कष्ट करे तथा शासन की ओर से **म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से मान्नीय एनजीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने का कष्ट करे।** प्रकरण में कल दिनांक 05.07.2024 को सुनवाई नियत है। अधोहस्ताक्षरकर्ता म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रकरण का प्रभारी है एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिवेदन पूर्व में ही मान्नीय एनजीटी को प्रस्तुत किया जा चुका है।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार**

**(एस.डी. बाल्मिक)**
**क्षेत्रीय अधिकारी**
रीवा, दिनांक ............

पृ.क्रमांक / /क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2024

**प्रतिलिपि :–**

1. डायरेक्टर पर्यावरण (विधि / प्रशासन) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री राजेश कुमार अग्रवाल रजिस्टार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेन्च स्टेट कमीशन भवन, थर्ड फ्लोर, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011 (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. श्रीमती पारूल भदौरिया बोर्ड अधिवक्ता म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(एस.डी. बाल्मिक)**
**क्षेत्रीय अधिकारी**
**म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**रीवा (म.प्र.)**

**क्षेत्रीय कार्यालय**
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**एच.आई.जी.190—191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)**
**Tel / Fax : (07662) 297605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in**

रीवा, दिनांक 21.5.24

क्रमांक / 704 /क्षे.का/तक./प्रनिबो/2024

प्रति,

कलेक्टर महोदया
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :— **मान्नीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल, प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड.) हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में शासन की ओर से 03 सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के संबंध मे।**

संदर्भ :— इस कार्यालय का पृ. क्र. 646 दिनांक 08.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कर लेख है उक्त प्रकरण तहसील जवा ग्राम बढाछ के पुरनिहा तालाब में अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में मान्नीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल, प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड.) हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में विचाराधीन है, प्रकरण में पूर्व पेशी 09.05.2024 को एस.डी.एम. जवा द्वारा मान्नीय न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया था कि पी.एम. आवास योजना अन्तर्गत निर्मित 07 आवास एवं अन्य कच्चे मकानो को हटाने हेतु वैधानिक कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा एवं ग्राम पंचायत बढाछ के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श अचार संहिता समाप्ति उपरांत की जावेगी इस आशय में मान्नीय न्यायालय को प्रकरण में आगामी तिथि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था।

दिनांक 09.05.2024 को मान्नीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुसार राज्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के संबंध में समय चाहा गया था जिसमे मान्नीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए 03 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है एवं प्रकरण में आगामी पेशी 05.07.2024 नियत की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील जवा ग्राम बढाछ के पुरनिहा तालाब में अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में प्रतिवेदन शासन की ओर से भेजे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

**संलग्न :— दिनांक 09.05.2024 को एनजीटी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।**

21/5/2024

**(एस.डी. बाल्मिक)**
**क्षेत्रीय अधिकारी**

रीवा, दिनांक 21/5/2024

पृ.क्रमांक / 705 /क्षे.का/तक./प्रनिबो/2024

प्रतिलिपि :—

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रमुख विधि/प्रशासन) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. एस.डी.एम. महोदय तहसील जवा जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती पारूल भदौरिया बोर्ड अधिवक्ता म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देशार्थ हेतु प्रेषित।

21/5/2024

**(एस.डी. बाल्मिक)**
**क्षेत्रीय अधिकारी**
**म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**रीवा (म.प्र.)**

701
21/5/24

NGT
Bak
92
21/5/2024

Item No. 02

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**
**(Through Video Conferencing)**

**Original Application No.181/2023(CZ)**

Hari Mohan Mishra — Applicant (s)

Vs

State of M.P. & Ors. — Respondent(s)

Date of Hearing: **09.05.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER**
**HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s):

For Respondent(s) : Mr. Pranjal Pandey, Adv. for
Ms. Parul Bhadoria Bhadoria, Adv.
Mr. Mehul Bhardwaj, Adv

**ORDER**

Shri Mehul Bhardwaj, Learned Counsel for the State sought a short time to file the reply. The same may be filed within three weeks.

List it on **5th July, 2024**.

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A Senthil Vel, EM**

9th May, 2024
O.A. No. 181/2023(CZ)
K

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / 189 /रीडर / 2024 जवा दिनांक 03 / 07 / 2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला रीवा (म0प्र0)

949
4/7/24

विषय:- माननीय एन.जी.टी.सेन्टल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा के पत्र क्र. **705/क्षे.का./प्रनिबो/2024** रीवा दिनांक **21-05-2024**

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा माननीय एन.जी.टी.सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश पालन में तहसीलदार तहसील जवा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया , तहसीलदार जवा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :-

1- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा से ग्राम बडाछ अन्तर्गत आराजी नं.1323 रकवा 1.388 हे. 1324 रकवा 4.501 हे0 एवं आ.नं. 1325/1 रकवा 6.123 हे0 के अंश भाग पर ग्राम के व्यक्तियो द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त आराजियों पर अतिक्रमण की स्थिति निम्नानुसार है आ.नं. 1324 अतिक्रमण मुक्त है। आराजी नं. 1323 में 20 व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है व आराजी नं. 1325/1 में **6** व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है

2- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील जवा में प्रत्येक अतिक्रामक के विरुध्द पृथक-पृथक राजस्व प्रकरण दर्ज कर म.प्र.भू.रा.सं.1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 248 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये अतिक्रामकों के विरुध्द बेदखली आदेश पारित किया गया ।

3- यह कि उक्त आदेश के अनुक्रम में सभी अतिक्रामक गणो को विधिवत बेदखली नोटिस जारी किये गये । नियतअवधि तक अतिक्रामकों द्वारा स्वयं अपना अबैध कब्जा नही हटाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसके तहत कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया , एवं आवासीय अतिक्रामकों क्रमश- छोटेलाल पिता श्री रामभजन, दयाल पिता श्री रामभजन , सागर पिता देवशरण, राजेश पिता सूर्यपाल, बब्बू पिता रामभजन तथा बालकृष्ण पिता रामबलदेव सा0 बडाछ कुल **6** अतिक्रमणकारियों का अबैध कब्जा मौके से हटाया गया ।

4- शेष अतिक्रामक गणों के बैकल्पिक आवासीय व्यवस्था न होने से उन्हे बेदखल करने/कब्जा हटाने के पूर्व पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम बडाछ की आ.नं. **903** का चयन कर नियमानुसार व्यवस्थापित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5- म0प्र0शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र.**906/2023**/सात/शा-**2** भोपाल दिनांक **23.06.2023** (प्रति संलग्न ) के अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरुप के अतिक्रमण को न हटाये जाने का निर्देश है।

अत- माननीय न्यायालय से शेष अतिक्रामको का अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय प्रदाय करने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न - तहसीलदार जवा का प्रतिवेदन

**अनुविभागीय अधिकारी (रा0)**
**अनुभाग जवा जिला-रीवा (म0प्र0)**

पृ.क्र. /189 /प्रवा./2024 जवा दिनांक 03.07.2024

प्रतिलिपि- कलेक्टर महोदय रीवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

**अनुविभागीय अधिकारी (रा0)**
**अनुभाग जवा जिला-रीवा (म0प्र0)**

# कार्यालय तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक /217/ प्रवा0 /2024 जवा दिनांक 03/07/2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
अनुभाग जवा जिला रीवा (म0प्र0)

विषय:- माननीय एन.जी.टी.सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से 03 सप्ताह के अंदर जबाब प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा के पत्र क्र. 705/क्षे.का./प्रनिबो/2024 रीवा दिनांक 21-05-2024

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा माननीय एन.जी.टी.सेन्टल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के परिपालन में की गई कार्यवाही का बिन्दुबार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा से ग्राम बडाछ अन्तर्गत आराजी नं.1323 रकवा 1.388 हे. 1324 रकवा 4.501 हे0 एवं आ.नं. 1325/1 रकवा 6.123 हे0 के अंश भाग पर ग्राम के व्यक्तियो द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त आराजियों पर अतिक्रमण की स्थिति निम्नानुसार है आ.नं. 1324 अतिक्रमण मुक्त है। आराजी नं. 1323 में 20 व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है व आराजी नं. 1325/1 में 6 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

2- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील जवा में प्रत्येक अतिक्रामक के विरुध्द पृथक-पृथक राजस्व प्रकरण दर्ज कर म.प्र.भू.रा.सं.1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 248 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये अतिक्रामको के विरुध्द बेदखली आदेश पारित किया गया ।

3- यह कि उक्त आदेश के अनुक्रम में सभी अतिक्रामक गणो को विधिवत बेदखली नोटिस जारी किये गये । नियतअवधि तक अतिक्रामकों द्वारा स्वयं अपना अबैध कब्जा नही हटाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसके तहत कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया, एवं आवासीय अतिक्रामकों क्रमश- छोटेलाल पिता श्री रामभजन, दयाल पिता श्री रामभजन, सागर पिता देवशरण, राजेश पिता सूर्यपाल, बब्बू पिता रामभजन तथा बालकृष्ण पिता रामबलदेव सा0 बडाछ कुल 6 अतिक्रमणकारियों का अबैध कब्जा मौके से हटाया गया ।

4- शेष अतिक्रामक गणों के बैकल्पिक आवासीय व्यवस्था न होने से उन्हे बेदखल करने/ कब्जा हटाने के पूर्व पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम बडाछ की आ.नं. 903 का चयन कर नियमानुसार व्यवस्थापित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5- म0प्र0शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र.906/2023/सात/शा-2 भोपाल दिनांक 23.06.2023 (प्रति संलग्न ) के अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरुप के अतिक्रमण को न हटाये जाने का निर्देश है।

अत- माननीय न्यायालय से शेष अतिक्रामको का अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय प्रदाय करने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर सम्प्रेषित है।

3/07/24

तहसीलदार
तहसील जवा जिला रीवा (म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 90/2023/सात/शा-2 [illegible] 23/06/2023

26 JUN 2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला (अगर)
मध्यप्रदेश।

विषय- नजूल भूमि पर वर्षाकाल में अतिक्रमण न हटाये जाने संबंधी ज्ञापन के संबंध में।
संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, भू परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 22-27-8-76, दिनांक 1.9.76

--00--

विषयांतर्गत अनुरोध है कि वर्षाकाल में नजूल भूमि पर निर्मित आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने तथा गुमटियों, ठेले और व्यावसायिक अस्थाई अतिक्रमण भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जाने तक न हटाया जावे संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न- संदर्भित ज्ञापन।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक /190 /रीडर / 2024 जवा दिनांक 03 / 07 / 2024

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला रीवा (म0प्र0)

विषय:- माननीय एन.जी.टी.सेन्टल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा के पत्र क्र. **705/क्षे.का./प्रनिबो/2024** रीवा दिनांक **21-05-2024**

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा माननीय एन.जी.टी.सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल प्रकरण ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड. ) श्री हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में शासन की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश पालन में तहसीलदार तहसील जवा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया , तहसीलदार जवा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :-

1- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा से ग्राम बडाछ अन्तर्गत आराजी नं.1323 रकवा 1.388 हे. 1324 रकवा 4.**501** हे0 एवं आ.नं. 1325/1 रकवा 6.123 हे0 के अंश भाग पर ग्राम के व्यक्तियो द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त आराजियों पर अतिक्रमण की स्थिति निम्नानुसार है आ.नं. 1324 अतिक्रमण मुक्त है। आराजी नं. 1323 में 20 व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है व आराजी नं. 1325/1 में **6** व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है

2- हल्का पटवारी ग्राम बडाछ तहसील जवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील जवा में प्रत्येक अतिक्रामक के विरुध्द पृथक-पृथक राजस्व प्रकरण दर्ज कर म.प्र.भू.रा.सं.1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 248 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये अतिक्रामको के विरुध्द बेदखली आदेश पारित किया गया ।

3- यह कि उक्त आदेश के अनुक्रम में सभी अतिक्रामक गणो को विधिवत बेदखली नोटिस जारी किये गये । नियतअवधि तक अतिक्रामकों द्वारा स्वयं अपना अबैध कब्जा नही हटाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसके तहत कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया , एवं आवासीय अतिक्रामकों क्रमश- छोटेलाल पिता श्री रामभजन, दयाल पिता श्री रामभजन , सागर पिता देवशरण, राजेश पिता सूर्यपाल, बब्बू पिता रामभजन तथा बालकृष्ण पिता रामबलदेव सा0 बडाछ कुल **6** अतिक्रमणकारियों का अबैध कब्जा मौके से हटाया गया ।

4- शेष अतिक्रामक गणों के बैकल्पिक आवासीय व्यवस्था न होने से उन्हे बेदखल करने/ कब्जा हटाने के पूर्व पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम बडाछ की आ.नं. **903** का चयन कर नियमानुसार व्यवस्थापित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5- म0प्र0शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र.**906/2023/सात/शा-2** भोपाल दिनांक **23.06.2023** (प्रति संलग्न ) के अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरुप के अतिक्रमण को न हटाये जाने का निर्देश है।

अत- माननीय न्यायालय से शेष अतिक्रामको का अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय प्रदाय करने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर सम्प्रेषित है।

Peyush

**अनुविभागीय अधिकारी** (रा0)

**अनुभाग जवा जिला-रीवा (म0प्र0)**

पृ.क्र. /190 /प्रवा./2024 जवा दिनांक 03.07.2024

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला रीवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

Peyush

**अनुविभागीय अधिकारी** (रा0)

**अनुभाग जवा जिला-रीवा (म0प्र0)**